

जे.पी.आर.5- 850

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर-302005  
फोन नं0 - 0141-2747041, फैक्स नं0 - 0141-2744803  
ईमेल - se\_comml@yahoo.in

क0 जेपीडी / अधी.अ. (वा.) / सी-1 / एफ. / प्रे0 2976 जयपुर, दिनांक- 31-03-17

स्पष्टीकरण

विषय:- कृषि श्रेणी में बढ़ाई गई बिजली दरों को वापस लेने के संदर्भ में।

कृषि श्रेणी में बढ़ाई गई बिजली दरों को वापस लेने के संदर्भ में आदेश जेपीआर 5-840 दिनांक 20.02.2017 एवं संशोधन आदेश जेपीआर 5-844 दिनांक 02.03.2017 जारी किये गये थे। इसी क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि कृषि श्रेणी में बूंद-बूंद योजना के अन्तर्गत ऐसे कनेक्शन जो 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर सामान्य श्रेणी में परिवर्तित हो गये हैं ऐसे कनेक्शनों पर भी सरकार द्वारा अनुदान के पश्चात् प्रभावी विद्युत दर रू. 0.90/- प्रति युनिट लागू होगी।

आज्ञा से



(ए.के. खण्डेलवाल )  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)